छत्तीसगढ़ विधानसभा
पत्रक भाग-एक
संक्षिप्त कार्य विवरण
सोमवार, दिनांक 15 मार्च, 2010
(फाल्गुन-24, शक संवत् 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 16 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 04, 05 एवं 08 से 12 (कुल 08) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्न संख्या 02, 03, 06 एवं 07 के प्रश्नकर्त्ता सदस्य क्रमशः सर्वश्री रविन्द्र चौबे, परेश बागबाहरा, सौरभ सिंह एवं संतोष बाफना अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 1 तारांकित एवं 11 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने रायगढ़ जिले के खरसिया नगर में एक छात्रा के अपहरण किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री विजय बघेल, संसदीय सचिव ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री भीमा मंडावी, सदस्य (अनुपस्थित) - सूचना प्रस्तुत नहीं हुई।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री नारायण चंदेल, सदस्य ने जांजगीर-चांपा जिले के ठेकेदारों एवं अधिकारियों की मिलीभगत के कारण सड़कों का कार्य बंद होने,
संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

4. वर्ष 2010-2011 की अनुदान मांगों पर चर्चा (क्रमशः)

माननीय खाद्य मंत्री के विभागों की मांगों पर पुनर्गृहीत चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः-

श्री लखमा कवासी,

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री राजू सिंह ठाकुर, राजकमल सिंघानिया, डॉ.हरिदास भारद्वाज।

श्री पुन्नूलाल मोहिले, खाद्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने कृषि विभाग से संबंधित मांग संख्या 13, पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 14, मछलीपालन से संबंधित मांग संख्या 16, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 54 एवं श्रम विभाग से संबंधित मांग संख्या 18 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-13 पर सर्वश्री रविन्द्र चौबे, महंत रामसुंदर दास, डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-14 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, महंत रामसुंदर दास, डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-16 पर** महंत रामसुंदर दास एवं डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-54 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, महंत रामसुंदर दास, डॉ.हरिदास भारद्वाज, **मांग संख्या-18 पर** सर्वश्री रविन्द्र चौबे, महंत रामसुंदर दास, डॉ.हरिदास भारद्वाज, अमरजीत भगत, गुरु रूद्र कुमार, ह्दय राम राठिया, सदस्य
के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

(सभापति महोदय (श्री नारायण चंदेल) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लियाः-

श्री बद्रीधर दीवान, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर,

(सभापति महोदय (श्री बद्रीधर दीवान) पीठासीन हुए।)

श्री खेदूराम साहू,

(सभापति महोदय (डॉ.हरिदास भारद्वाज) पीठासीन हुए।)

डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, श्रीमती सुमित्रा मारकोले, श्री नंदकुमार साहू, श्रीमती लक्ष्मी बघेल, श्रीमती नीलिमा सिंह टेकाम, श्री मदनलाल साहू, बह्मानंद।

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) श्री विक्रम उसेंडी, वन मंत्री ने वन विभाग से संबंधित मांग संख्या 10 प्रस्तुत की।

मांग संख्या-10 पर सर्वश्री रविन्द्र चौबे, डॉ.हरिदास भारद्वाज, डॉ.प्रेमसाय सिंह टेकाम, शिवकुमार डहरिया, डॉ.शक्राजीत नायक, ह्दय राम राठिया एवं श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य
के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों एवं कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ हुई।

श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

श्री रविशंकर त्रिपाठी, डॉ.शिवकुमार डहरिया,

(सभापति महोदय (डॉ.हरिदास भारद्वाज) पीठासीन हुए।)

(माननीय सभापति महोदय ने सदन की सहमति से सायं 6.00 बजे तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

श्री ब्रह्मानंद,

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

श्रीमती अंबिका मरकाम (जारी..)

सायं 6.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 17 मार्च, 2010 (फाल्गुन 26, शक संवत् 1931) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा